THREE RUPEES भारत FIFTY PAISE

सत्यमेव जयते

5 C

Read with sec /

10.50
27.10
37.50

1 नाम लेने वाली : श्री राम लखन राय वल्द श्री बाल गोविन्द राय - पेशा - खेती - निवास स्थान - नेगुना - थाना व पोस्ट - दानापुर जिला - पटना - भारतीय नागरिक / जाति - यादव

2 नाम देने वाली : श्री दलीप कुमार नाबालिग वल्द लालन - श्री नन्दू महतो वल्द स्व० श्री महादेव महतो - पेशा - खेती - मोहल्ला - सुल्तानपुर - थाना व पोस्ट - दानापुर जिला - पटना - जाति कुशवाहा कोयरी - भारतीय नागरिक

3 लेख प्रकार : शुद्धि पत्र (Deed of Rectification) वो लेखक न० 3V29 पृष्ठ न० 1 जिल्द न० 3

बोली/

3.20×1= 3.20/ रु०

रु० 3.20) रु० वास्ते स्टाम्प

उमाकान्त राय
दानापुर

सही रामलखन राय
ता० 5-2-80

रामलखन राय
बालगोविन्द राय
सगुना दानापुर पटना

5. 2. 80

पटना

... किया।

... का हस्ताक्षर

निबंधक पदाधिकारी ...

रामलखन राय

... कुछ ... मुख्य निकासी

... परमानन्द प्रसाद

पिता का नाम रामलखन राय

... की लेख्य का निष्पादन स्वीकार।

5 2 W L 5/90

सही-रामलखन राय
12-2-80

नि० निबंधक
दानापुर
12.

5/90 W L 5/90

परमानन्द प्रसाद
12-2-80

दखल [illegible] (6000) [illegible] होता है

5

निम्नलिखित :: मयाजी 11. ए० का भूमि जिसका अधिकार किया हो — स्थान खेती आदि की जगह मौजा- जमुना-

परगना- फुलवारी- थाना को निबंधित- दानापुर, सब रजिस्ट्री को जिला- पटना तौजी नं०- 5233 थाना नं०- 23 खाता नं०- 32 कैवाला प्लॉट नं०- 423 मालिक बिहार सरकार बकाश्त [illegible] दानापुर, [illegible] पटना [illegible] 3 (1) [illegible]

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
प्रसाद गोप	पुरुषन महतो	रामेश्वर गोप	इन्द्रदेव [illegible]

विदित हो कि खाता नं० 5 में वर्णित जायदाद को लिखने वाले ने तारीख 29-9-1956 ई० को लिखवाली के नाम एक कबाला बिक्री पत्र लिख कर कब्जा दखल को अधिकार में दे दिया है जिसका पुस्तक नं० 1 जिल्द नं० 39 पेज नं० 395 से 399 को सिरियल नं० 3529 (एकनीत राम लखन राय) ता० 1956 ई० दानापुर है लेकिन सब रजिस्ट्री के दिन उक्त को [illegible] में कातिब के गलती से कैवाला प्लॉट नं० 523 लिखा गया था, जब कि सही में कैवाला प्लॉट नं० 423 है और 523 कैवाला प्लॉट

को ही लेखकर्ता ने लेखप्राप्ति के नाम बिल्कुल पत्र लिखकर कब्जा - दाखल दे दिया था। लेकिन जब लेखप्राप्ति अमीनदारी विभाग के जिला लोहना(?) के पुलिस(?) में नाम दाखिल-खारिज हेतु दर्ज कराने गए तो पता चला कि सेतरा प्लॉट नं ४६३ गलती है और ४८३ है इसलिए लेखप्राप्ति को किसी तरह की दिक्कत एवं परेशानी नहीं हो। इसलिए लेखकर्ता खाता नं ५ को लेखप्राप्ति के नाम शुद्धि-पत्र लिख देना उचित वो न्यायोचित समझा।

अतः लेखकर्ता ने अपनी खुशी वो राजी से अपने होशो हवास में अपने हानि-लाभ को बखूबी सोच विचार कर बिना किसी दबाव(?) के में खाता नं ५ को शुद्धि पत्र लिखा वो कर दिया है कि केवाला(?) रजिस्ट्री के दिन प्लॉट नं ४८३ में गलती से सेतरा नं ४६३ लिखा गया था, जबकि सही में सेतरा प्लॉट नं ४८३ केवाला(?) रजिस्ट्री किया है और इसी सेतरा प्लॉट नं ४८३ पर लेखप्राप्ति रजिस्ट्री के आधार पर - काबिज दाखिल वो आबाद(?) तथा मालिक होकर वो हक उपभोग करते चले आ रहे हैं। अब हमारा या हमारे वारिसान का खाता नं ५ में वर्णित प्लॉट पर कोई दावा दावी वो रोक बाकी नहीं है नहीं होगा नहीं होगा। अगर भविष्य में लेखकर्ता या इनके वारिसान खाता नं ५ पर लेखप्राप्ति या इन के वारिसान के नाम किसी तरह का दावा दावी नहीं - करेंगे। अगर करेंगे तो गलत वो नाजायज होगा तथा किसी भी न्यायालय में कानूनी दृष्टि से अमान्य समझा जाएगा। इसलिए लेखकर्ता ने खाता नं ५ में वर्णित सेतरा प्लॉट का - लेखप्राप्ति के नाम हक वो बजाय(?) शुद्धि पत्र लिख दिया कि सनद पर प्रमाण रहे वो काम आवे।

तारीख ५-२-१९८०ई०

[illegible margin notes]

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

152.25
6.30
1.10
1.12
160.67

220.50
140
360.50

नाम मोकिर :- श्री रामलखन साव पुत्र
श्री बाल गोविन्द साव
जात कान्दु पेशा काश्तकारी
निवास स्थान खुनाथाना
दानापुर जिला पटना।

नाम मौकिलअकेंद :- श्री दलीप कुमार नाबालिग

१००रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

जात कुशवाहा छत्री पेशा खेती -
निवास स्थान सुल्तानपुर थाना
दानापुर जिला पटना तहसील
दानापुर कैंट । -

३
किस्म वसीका :- कुवाला बैलाकलामी यानि विक्रय पत्र / —

४
तायदाद जरेसमन :- मोबलग 7000) सात हजार रुपया । —

५
शाहत सेहोवरेम :- मवाजी 0॥ (दस कट्ठा) सेरांगी
आबाद दाखिल कास्तकारी
कायमी नगदी वाके मौजा
सगुना परगना फुलवारी
थाना वो सबरजिस्ट्री
दानापुर सदर रजिस्ट्री
वो जिला पटना जा

सहिताधिकार ... तां० 27-7-78

ह० गोपाल प्रसाद नारायण
साकिन: काजी/स्थान दानापुर कैंट
थाना दानापुर, जिला पटना

भारत INDIA

६०रू. SIXTY RUPEES 60RS

पटना के है जि.त.का :

तौजी 4233 थाना 23.

खाता 32. खेसरा 483 483

मालिक बिहार सरकार.

कब्जे में अपना अधिकार

[illegible] लगान 2/- [illegible]

क्षेत्र

रकबा 1. प्रसाद गोप

हदबन्दी 2. फेकन महतो

463 3. रामईश्वर गोप

पश्चिम - [illegible]

[illegible]

मजमून

मैं कान्त [illegible] जो खाता

[illegible]

मा: [illegible] पटना

पचीस नये पैसे पचीस नये पैसे

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

खारिजी सम्पत्ति है जो मैंने
तारीख ८-४-१९५२ को बाबत
रामचन्द्र गोप वो रामलखन गोप
वो रामईश्वर गोप साकिन सतुआ
से क्रय खरीद किया था जिसका
बुक न० १ जिल्द ९५ पेज ३३५
ता ३३७ वसीका १२०७ है।
व खारिजी मोरी काबिज
दाखिल वो मालिक दखलकार
चले आते हैं। और पाकसाफ
है। उसको अपने खुशी वो
खाहिश से बहालत सेहत
जात बदुरुस्ती होश वो
हवाश के बगैर किसी वो
व्यवहार के देन महाजन के
लिये रुपया मो० ७०००।

सही-रामसेवक राय ता०-२१-१-१९६८.

द: राजेन्द्र प्रसाद
सा:- मसौना - थाना धनबाद
जी:- धनबाद

पचीस नये पैसे भारत पचीस नये पैसे

TWENTY FIVE NAYE PAISE

सात हजार रुपया के बदले

मोसि? अहमद के हाथ बेचा

औ बेलाकलामी किया औ

कुल रुपया इस प्रकार वसूल

पाया कि मो० २०००) दो हजार

रुपया कबल वसूल पाकर मशरूफ में

हर लाये बाकी मो० ५०००) पांच

हजार रुपया बरु इजलास जनाब

सबरजिस्ट्रार साहब दानापुर के नजदीक

वसूल पाया इस प्रकार कुल कीमत

वसूल पाकर ऐसही [illegible]

रजोज के कब्जा किया आज

तक जो कुछ हक था हकूक

मालिकाना का शामिल था बजिन

सही- रामलखन साव ता. २३-९

सही नकल [illegible]

सं: संयुक्त- थाना

दानापुर- पटना

शहु अभियुक्ता असिमन के खिलाफ
का दाखिल हुआ चाहिये कि
खिलाफ बाद अपना अभियुक्ता के विरुद्ध
पर फर्द का लेवेन आगे बढ़ता
कुछ सबूत की ब्युक मनमानी की
हासिल था अतिम शहु अभियुक्ता
असिमन के रोज़ा भी दाखिल हुआ
चाहिये कि विरोध हो आपराधिक में
अपना बाद फर्द का लेवेन करा किसी
विरुद्ध से जल्द है स्वीडा पा उनके
बावजूद कैदनामा हो आप को मालूम
अदालत करे मुकदमा मय हाज़िर मिय मय
जवाब लगाव दोषी के या बावजूद
दोषी के या अपराध के साथ मुकदमा
के गोमतदुला कद हाजिर बाद के उस
का माइंडफुल के लेवेन का हुआ
नहीं उठे चौकी में पालिका केवाला बेला
कलामी याने विरुद्ध पर लिये दिया के
[illegible]

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 928539

9883

2454-2

11466

95

2.50

1.12

11448-62

98100

39900

88000

248

1— नाम लेख्यकारिणी :— श्रीमती बीबी निकहत महबुब

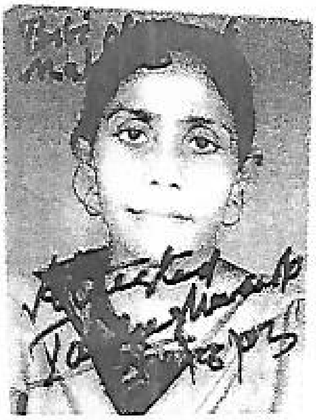

धर्मपत्नी श्री महबुब इमादी, निवास स्थान— मंगल तालाब पटना सिटी, थाना— चौक, जिला— पटना । भारतीय नागरिक ।

23.8.2003

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

02CC 928538

2— नाम लेख्यधारीगण :— *1— श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा* पिता का नाम श्री बीरेन्द्र कुमार सिन्हा, निवास स्थान— राजा बाजार,, थाना— शास्त्रीनगर, जिला— पटना। कुल एराजी में से एक चौथाई हिस्सा के केता ।

2— श्री सुधीर रंजन पिता का नाम राम लखन प्रसाद, निवास स्थान न्यू एरिया जक्कनपुर, थाना— जक्कनपुर,

बीस हज़ार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 928537

पोस्ट— जी0पी0ओ0, जिला— पटना । कुल एराजी में से एक चौथाई हिस्सा के केता ।

3— डा0 श्रीमती मीरा रंजन लाल पत्नि श्री रजनी रंजन कुमार, निवास स्थान— एफ0 147 श्री कृष्णापुरी, थाना— श्रीकृष्णापुरी, जिला— पटना । कुल एराजी में से एक चौथाई हिस्सा के केता ।

4— श्री अमित कुमार पिता का नाम श्री अशोक कुमार वर्मा, निवास स्थान— बुद्ध मार्ग, थाना—

Rs 20000 रु भारतीय गैर न्यायिक Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 928536

कोतवाली, पोस्ट– जी0पी0ओ0, जिला– पटना । कुल एराजी में से एक चौथाई हिस्सा के केता । सभी भारतीय नागरिक

3– लेख्य प्रकार :– निर्विवाद विक्रय पत्र यानि केवाला वयला कलामी । (Deed of Absolute Sale)

4– मूल्यांकन :– मो0 5,70,000/– (पांच लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र ।

5– सम्पत्ति का विवरण मवाजी 17 1/4 डीसमील (सवा सतरह डीसमील) आवासीय एराजी कास्त हकियत रैयती कायमी नगदी वाके

23.8.2003

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES
५००० रू. Rs 5000
सत्यमेव जयते
भारत

मौजा– सगुना, परगना– फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री– दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला– पटना जो अन्दर विकाश प्राधिकार पटना क्षेत्र वाके है । मगर मास्टर प्लान के बाहर है । तथा सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि योग्य दिखाया गया है वो आज तक कृषि कार्य हो रहा है जिसका तौजी संख्या– 5292 / 5233 (पांच हजार दो सौ बानवे बटा पांच हजार दो सौ तेतीस), थाना संख्या– 23 (तेईस), खाता संख्या– 1 / 23 (एक बटा तेईस), सर्वे खेसरा प्लौट संख्या– 487 (चार सौ सतासी), जिसकी सालाना लगान मो0 1.70 अलावे शेष वजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर पटना ।

23.9.2003

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

<u>चौ ह दी</u>

उत्तर :— पार्ट प्लौट नं0— 487 हबीब अख्तर ।

दक्षिण :— मुन्ना राय वगैरह ।

पूरब :— पार्ट प्लौट नं0— 487 शलेन्द्र कुमार सिन्हा वगैरह ।

पश्चिमः— हण्डल बादहू रोड ।

लेख्यकारिणी ने उपरोक्त सम्पत्ति की बिकी हेतु शहरी भूमि अधिनियम 1976 की धारा 26 (i) के अर्न्तगत सक्षम पदाधिकारी, पटना समक्ष विहित प्रपत्र पर दिनांक 24—5—2003 को सूचना दाखिल किया है जिसका कमांक संख्या 4883/03 है। जिसकी साठ दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति बिहार सरकार के खास महाल क्षेत्र से बाहर है ।

"संदर्भ"

यह कि उपरोक्त खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को लेख्यकारिणी अपने खास रूपयों से वजरिये वशिका केवाला बयला कलानी मरकुमा तारीख 27–1–1988 ई0 को नविस्ते श्री श्रीमाली चन्द सिंह वल्द सतीश चन्द्र सिंह, निवास स्थान– राजेन्द्र नगरपुर, थाना– कदमकुआं, जिला– पटना वो दिलीप कुमार वल्द श्री रामलखन प्रसाद निवास स्थान– न्यू एरिया जक्कनपुर, पटना वहैसियत मोख्तार श्री विश्व रंजन तिवारी वल्द श्री विरेन्द्र नाथ तिवारी, निवास स्थान– उत्तरी श्री कष्णापुरी, थाना– श्रीकष्णापुरी जिला– पटना से बैय खरीद किया था । जिसका बुक नं0–1, जिल्द नं0– 20 वास्ते 1991 ई0 पेज नं0– 261 से 266 वशिका नं0– 555 सन 1988 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है । तारीख खरीदारी के दिन से लेकर आज तक लेख्यकारिणी खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी

हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर सम्पत्ति के उत्पतित आय को अपने उपयोग वो उपभोग में लाती चली आ रही है वो लेख्यकारिणी का नाम वसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दी रैयत सं0— 872 सन 1993—94 ई0 में दर्ज पाया गया है ।

लेख्यकारिणी को तत्काल बनाने मकान वो खरीदने अन्य सम्पत्ति एवं अन्य जरूरतों के पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने संख्या— 5 में वर्णित सम्पत्ति की बिकी लेख्यकारिणी नहीं करते हैं तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबन्ध करना लेख्यकारिणी के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है।

अतएव लेख्यकारिणी ने वहैसियत सम्पत्ति के मूल स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वस्थतावस्था में अपने सम्पूर्ण लाभ हानि को भली भांति

23.8.2003

समझ–बुझ कर अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों के साथ खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित मूल्य मो0 5,70,000/– रूपया (पांच लाख सत्तर हजार रूपया) मात्र में बदस्त लेंख्यधारीगण खाने नं0– 2 को बेचा वो बैयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का एकरार सहर्ष स्वीकार किया ।

मूल्य के कुल रूपयों को लेख्यकारिणी ने खरीदार पक्ष से वशिका पर हस्ताक्षर के समय ही वसूल वो बेवाक पायी । अब एक नया पैसा लेख्यकारिणी को खरीदार के ज़िम्मे बाकी न रहा, न कभी होगा।

खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दखल–कब्जा आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दखल – कब्जा आज के दिन से मूल्य के कुल रूपयों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी वजाय लेख्यकारिणी के वसिरिश्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग में इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवेगें।

उस वक्त लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का कोई उजूर वो एतराज न है वो न कभी होगा वो यदि लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी किसी गलत बयान से किसी किस्म के दावा या उजूरदारी निस्वत एराजी मजकुर जरे या सम्मन मजकुर के करें तो उनकी उजूरदारी या दावा वमोकावले वशीका विक्रय पत्र के रद्द वो गैर

अरविन्द मिश्रा
23.8.2003

... अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

लेख्यकारिणी (बिक्रेता) ने लेख्यधारीगण (केताओं) के साथ यह भी सत्यता प्रकट किये हैं और विश्वास दिलाये हैं कि खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी से पूर्णतः मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारी ने खाना नम्बर – 5 मे वणित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये हैं वो नहीं लिखें हैं वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋण भार सरकारी वो गैर सरकारी खाने नं0– 5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण सम्पत्ति के अंश या कुल भू–भाग से बेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किस्म के कोई क्षति खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसे हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षति पूर्ति बेकदर बेदखली या जो जो ऋण भार उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद मो0 1/–रूपया माहवारी के हिसाब से लेख्यकारिणी या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी कारवाई करके वसूल वो बेवाक कर लेवेंगें । उस वक्त लेख्यकारिणी को किसी प्रकार का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा ।

इस वास्ते यह वशिका निर्विवाद बिक्रय पत्र यानि केवाला वयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे । समाप्त ।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज वो द्वितीय प्रति ~~दोनो बारह~~–बारह पृष्ठों में तैयार किया गया है जो हु–बहू एक दुसरे [illegible] है ।

23.8.2003

वो प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारिणी एवं लेख्यधारीगण के बायें हस्थ के पांचो अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है ।

दिनांक :– 23.8.03

23.8.2003

1– लेख्यधारी का हस्ताक्षर

Shailendra Kumar Sinha
23.08.2003

2– लेख्यधारी का हस्ताक्षर

Sudhir Ranjan
23.08.003

3— लेख्यधारी का हस्ताक्षर

Meera Ranjan Lal.
23/8/03

23.8.2003

4— लेख्यधारी का हस्ताक्षर

Amit Kumar

टंकक :—
(राज कुमार गुप्ता)
सिविल कोर्ट, दानापुर
पटना ।

प्रारुपकर्ता :—

INDIA ... JUDICIAL

२००रू. | Rs200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

[illegible]

152.25
6.30
1.10
1.12
160.67

220.50
140.0
360.50

[illegible]

नाम मोकिर : श्री रामलखन साव पुत्र श्री बल्ल गोविन्द साव जात कान्दु पेशा कास्तकारी निवास स्थान खगुनापाना दानापुर जिला पटना।

नाममोकिर अर्केटे : श्री दलीप कुमार नाबालिग

[illegible]

१००रू. Rs100

भारत

एक सौ रूपया ONE HUNDRED RUPEES

जात कुशवाहा चन्दों पेशा खेती -
निवास स्थान सुल्तानपुर थाना
दानापुर जिला पटना अवस्थान
दानापुर कैन्ट। -

(३) किस्म वसीका :- कबाला बैलाकलामी यानि विक्रय पत्र। -

(४) तायदाद जरेसमन :- मो० 7000/ सात हजार रुपया। -

(५) शाहत सेहावरेया :- मवाजी 0॥ (दस कढ़ा) सेरानी आबादी वाकयत कायमी नागदी वाके मौजा सगुना परगना फुलवारी थाना व सबरजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री व जिला पटना जा

[illegible]

सत्यापित [illegible] ता 16-7-[illegible]

[illegible]

भारत INDIA SIXTY RUPEES ६०रु. 60RS

पटना के है जि.स.का :
तौजी 4233 थाना 23.
खाता 32. खेसरा 483
मालिक बिहार सरकार.
कब्जीं अपना अधिकार
रानपुर लगान- 2 कलोव
चौह.
उत्तर 1. प्रसाद गोप
दक्षिण 2. फेकन महतो
पु. रामेश्वर गोप
पश्चिम- फणा मालिक

463
हस्तकद्दा

|| (दस्तकद्दा).

मजमून
जो कि सम्पत्ति जो खाता
नं 4 में निर्दिष्ट है सो कि

महेन्द्र प्रसाद
ग्रा: बीबीगंज दानापुर
पटना

पचीस नये पैसे पचीस नये पैसे

भारत

TWENTY FIVE NAYE PAISE

स्वरीदगी सम्पति है जो मकुमा
तारीख ८-४-१९५२ का बावत
रामचन्द्र गोप वो रामलखन गोप
वो रामईश्वर गोप साकिन सगुना
से क्रय स्वरीद किया जो जिसका
बुक न० १ जिल्द ७५ पेज ३३५
ता ३३७ वसीका ७२०७ है।
ता स्वरीदगी मोकिर काबिज
दाखिल वो मालिक मुतसरीफ
चले आते हैं। और पाकशाफ
है। जिसका ऊपर खुशी वो
स्वाहिश से बहालत होश
जात बदुरुस्ती होश वो
हवास के बगैर [illegible] वो
व्यवहार के देन लेन के
लिये बगैर रुपया मोवलीग ७०००।

मोहीरामलखन गोप दि० २९-७-९६

रा: रामेश्वर प्रसाद
सा- सगुना- थाना दानापुर
जी- पटना

पचीस नये पैसे भारत पचीस नये पैसे

TWENTY FIVE NAYE PAISE

सात हजार रुपया मे बेदस्त
मोसि औलेह के हाथ बेचा
व बेलाकलामी लिया व
कुल रुपया इसतरह वसूल
पाया कि मोबलग २००० दो हजार
रुपया कबल वसूल पाकर मशरूफ मे
ला चुके बाकी मोबलग ५००० पांच
हजार रुपया बरु इजलास जनाब
सबरजिस्ट्रार साहब दानापुर के नजदीक
वसूल पाया इस तरह कुल कीमत
वसूल पाकर ऐसही सेनोबेचा मे
खरीदार को कब्जा दिला कर
तक जो कुछ हक था हमको
मनकिर को हासिल था बजीन

सही-रामलखन साव ता० ३-७-७६

री लछमन पंडीत
सगुना- थाना
नापुर- पटना

शाहु अबाउल्ला ओसियन के खिलाफ
का दाखिल हुआ चाहिये कि
खलीफा बाद अपना अखितयार के खिलाफ
पर धर्म का लबेग आगे नगरा
सेध सब को हकूक मनदाखिल का
दाखिल था अतिन शाहु अबाउल्ला
ओसियन के जोड़ी को दाखिल हुआ
चाहिये कि मौजा के आपाबालय में
अपना बाद धर्म का लबेग काम किये
किसके में बलल है खलीफा पाउनेर
वगैरह के दफ्तर के गाय को नोलिश
उसालत कर मुकलिमा मय होगा लिया मय
जाग लगाव मौजे के या दखल
मोजे के जो जमा के सवारी मन्जूला
के गो मन्जूला बाद हां बाद के जीन
का पाइरबल के लबेग कोई खुश
नहीं उह लोग के चौका केवाला बेला
कलामी यानि खिलाफ पल लिया किया कि
सबूत पर ...

सही-रामलखन खान-11-8-9...

THREE RUPEES भारत FIFTY PAISE

सत्यमेव जयते

5 C

Read with sec/(4)

10.50
27.00
37.50

प्रमाणित किया जाता है कि ... प्रवेश करने पर ... रु० 220-50 ... प्राप्त किया गया है

1. नाम लोक आदि : श्री राम लखन राय वल्द श्री बाल गोविन्द ... पेशा - खेती - निवास ... थाना व पोस्ट - ... जिला - पटना - भारतीय नागरिक / जाति - ...

2. नाम लोक आदि : श्री दलीप कुमार नाबालिग वली ... श्री ... महतो वल्द स्व० श्री महादेव महतो - पेशा - खेती - ... थाना व पोस्ट - ... जिला - पटना - जाति कुशवाहा ... भारतीय नागरिक

3. लेख प्रकार : शुद्धि पत्र (Deed of Rectification) ... वॉल्यूम नं० 3 ... पृष्ठ नं० 1 ... जिल्द नं० ...

४

तफसील : मयाजी 11· दस कठा भूमि जिसका अधिकरण किया गया है ज़मीन रैयती खास मौजा मौजा - टेंगुना - परगना - फुलवारी - थाना को निबन्धित - दानापुर सब रजिस्ट्री जिला - पटना तौजी नं० - ५२३३ थाना नं० - २३ खाता नं० - 32 केवाला प्लौट नं० - ४८३ मालिक बिहार सरकार कायमी रैयत अधिकारी - दानापुर, हल्का इसमें मौजा टेंगुना पटना ... 3 ... शेष

उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
प्रसाद गोप	मेघन महतो	रामेश्वर गोप	...

विदित हो कि खाता नं० ५ में वर्णित जायदाद को ... ने तारीख २७-७-१९६४ ई० को ... के नाम ... कबाला विक्रय पत्र लिख कर कब्जा दखल को अधिकार में दे दिया है जो ... बुक नं० १ जिल्द नं० ३९ पेज नं० ३९५ से ३९९ को ... नं० ३८२७ सन १९८६ ई० दानापुर है लेकिन ... रजिस्ट्री के दिन उक्त ... में भूलवश गलती से केवाला प्लौट नं० ४८३ लिखा गया था, जब कि सही में केवाला प्लौट नं० ४८३ है जो ४८३ केवाला प्लौट

जिला ... के पुस्तिका में नाम दाखिल-खारिज दर्ज कराने गए तो पता चला कि प्लाट फ्लैट न० ४६३ गलती है और ४८३ है इसलिए लेखपाल के किसी तरह का दिक्कत एवं परेशानी नहीं है। इसलिए लेखकर्ता प्लाट न० ५ को लेखपाल के नाम शुद्धि-पत्र लिख देना उचित व आवश्यक समझा।

अतः लेखकर्ता ने अपनी खुशी व रजामंदी से अपने होश व हवास में अपने हानि-लाभ को बखूबी सोच-समझ कर ... में प्लाट न० ५ को शुद्धि-पत्र लिख दी व इकरार करते हैं कि बैनामा रजिस्ट्री दिनांक ... न० ३... में गलती से प्लाट न० ४६३ लिखा गया था जबकि सही में प्लाट फ्लैट न० ४८३ बैनामा रजिस्ट्री किया है और इसी प्लाट फ्लैट न० ४८३ पर लेखपाल बैनामा रजिस्ट्री के आधार से काबिज दाखिल व ... मालिक होकर व ... उपभोग करते चले आ रहे हैं। अब हमारा या हमारे वारिसान का प्लाट न० ५ में वर्णित फ्लैट पर कोई दावा दावी व लोभ लालच बाकी नहीं है न कभी होगा नहीं होगा। अगर भविष्य में लेखकर्ता या इनके वारिसान प्लाट न० ५ पर लेखपाल या इनके वारिसान के ... किसी तरह का दावा दावी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गलत व नाजायज होगा तथा किसी भी न्यायालय में कानूनी दृष्टि से अमान्य समझा जाएगा। इसलिए लेखकर्ता ने प्लाट न० ५ में वर्णित प्लाट फ्लैट का लेखपाल के नाम हक में बतौर शुद्धि पत्र लिख दिया कि सनद रहे प्रमाण हो व समय पर काम आवे।

तारीख ५-२-१९८० ई०